International Journal of advancement in electronics and computer engineering (IJAECE)
Volume 14 , Issue 9, Sep. 2025, pp.110-116, ISSN 2278 -1412
Copyright © 2012:IJAECE

ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण में जिला उद्योग केंद्र एवं बैंक ऋण की भूमिका: पन्ना जिले के संदर्भ में एक समीक्षात्मक अध्ययन

अरविन्द कुमार त्रिपाठी[1], ओ. पी. अरजरिया[2]
[1] पीएचडी शोधार्थी., वाणिज्य, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर, भारत
[2] प्राध्यापक., वाणिज्य, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर, भारत

सार – *ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पूंजी, कौशल एवं बाज़ार-संपर्क की कमी आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण रही है। भारत में जिला-स्तरीय औद्योगिक संवर्धन तंत्र के रूप में स्थापित जिला उद्योग केंद्र (DIC) तथा बैंकिंग संस्थानों की ऋण-सुविधाएँ ग्रामीण उद्यमिता को संस्थागत आधार प्रदान करती हैं। प्रस्तुत समीक्षात्मक अध्ययन पन्ना जिले के संदर्भ में DIC एवं बैंक ऋण की भूमिका का विश्लेषण करता है। अध्ययन में राष्ट्रीय/राज्य योजनाओं, वित्तीय समावेशन ढाँचे, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) नीति, तथा ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रमों पर उपलब्ध साहित्य का आलोचनात्मक परीक्षण किया गया है। निष्कर्षतः DIC–बैंक समन्वय ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक संरचनात्मक मॉडल प्रस्तुत करता है, परंतु प्रक्रिया-सरलीकरण, प्रशिक्षण-गुणवत्ता, विपणन-सहायता एवं डिजिटल वित्तीय साक्षरता में सुधार की आवश्यकता बनी हुई है।*

कुंजी शब्द: ग्रामीण सशक्तिकरण, जिला उद्योग केंद्र, बैंक ऋण, स्वरोजगार, ***MSME,*** वित्तीय समावेशन, पन्ना जिला;

I. प्रस्तावना

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था ऐतिहासिक रूप से कृषि-प्रधान संरचना पर आधारित रही है, जहाँ उत्पादन प्रणाली मुख्यतः पारंपरिक कृषि, पशुपालन तथा लघु स्तर की पारिवारिक गतिविधियों पर निर्भर रही है। औद्योगिकरण की सीमित पहुँच, अवसंरचनात्मक कमी, पूंजी निवेश की न्यूनता तथा तकनीकी आधुनिकीकरण के अभाव ने ग्रामीण क्षेत्रों में आय-सृजन की संभावनाओं को सीमित किया है। ग्रामीण उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय संस्थानों तक सीमित पहुँच, परियोजना-तैयारी में तकनीकी दक्षता की कमी, विपणन नेटवर्क का अभाव तथा जोखिम वहन क्षमता की न्यूनता जैसी संरचनात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। परिणामस्वरूप, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उत्पादकता निम्न स्तर पर बनी रहती है और आय-वृद्धि की प्रक्रिया धीमी हो जाती है।

इन्हीं चुनौतियों के समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 1978 में जिला स्तर पर औद्योगिक विकास को संस्थागत आधार प्रदान करने के उद्देश्य से जिला उद्योग केंद्र (District Industries Centre – DIC) की स्थापना की गई। DIC को "वन-स्टॉप सपोर्ट सिस्टम" की अवधारणा के अंतर्गत विकसित किया गया, ताकि संभावित उद्यमियों को एक ही मंच पर उद्योग पंजीकरण, परियोजना रिपोर्ट निर्माण, तकनीकी मार्गदर्शन, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण (EDP), विपणन सहयोग तथा बैंक ऋण समन्वय जैसी समेकित सेवाएँ उपलब्ध कराई जा सकें। इसका मूल उद्देश्य लघु, कुटीर एवं सूक्ष्म उद्योगों को प्रोत्साहित कर स्थानीय संसाधनों का उत्पादक उपयोग सुनिश्चित करना तथा क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था।

DIC की संरचना इस प्रकार विकसित की गई कि यह जिला प्रशासन, वित्तीय संस्थानों और उद्यमियों के बीच एक मध्यस्थ (facilitator) की भूमिका निभाए। बैंकिंग प्रणाली के साथ समन्वय स्थापित कर DIC संभावित उद्यमियों की परियोजनाओं का मूल्यांकन, व्यवहार्यता परीक्षण (feasibility analysis) तथा ऋण प्रस्ताव की अनुशंसा करता है। इससे सूचना-असमरूपता (information asymmetry) कम होती है और ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित बनती है। इसके अतिरिक्त, DIC प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमियों को तकनीकी, प्रबंधकीय एवं वित्तीय दक्षता प्रदान करता है, जिससे परियोजनाओं की सफलता दर में वृद्धि होती है।

पन्ना जैसे अर्ध-विकसित और ग्रामीण-प्रधान जिले में, जहाँ औद्योगिक आधार सीमित है और जनसंख्या का बड़ा भाग कृषि एवं असंगठित श्रम पर निर्भर है, DIC और बैंक

ऋण का समेकित प्रभाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पूंजी निवेश की कमी और रोजगार के सीमित अवसरों के कारण स्वरोजगार आधारित विकास मॉडल अधिक प्रासंगिक है। DIC–बैंक सहयोग के माध्यम से उपलब्ध संस्थागत ऋण न केवल उद्यम स्थापना को प्रोत्साहित करता है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन, आय विविधीकरण, पूंजी निर्माण तथा सामाजिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया को भी गति प्रदान करता है। इस प्रकार, पन्ना जिले के संदर्भ में DIC और बैंक ऋण की संयुक्त भूमिका ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक संरचनात्मक एवं व्यवहारिक विकास मॉडल के रूप में उभरती है, जिसे व्यापक ग्रामीण विकास रणनीति का अभिन्न अंग माना जा सकता है।

II. सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य

यह अध्ययन एक सुविचारित सैद्धांतिक ढाँचे पर आधारित है, जिसके माध्यम से ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया को विश्लेषित किया गया है। इस शोध में विशेष रूप से तीन प्रमुख सिद्धांतों—संस्थागत साख सिद्धांत, समावेशी विकास मॉडल तथा MSME-आधारित क्षेत्रीय विकास सिद्धांत—को आधार बनाकर जिला उद्योग केंद्र (DIC) एवं बैंक ऋण की भूमिका का मूल्यांकन किया गया है।

प्रथम, संस्थागत साख सिद्धांत (Institutional Credit Theory) यह प्रतिपादित करता है कि औपचारिक वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान की गई साख (credit) उत्पादक निवेश को प्रोत्साहित करती है और आर्थिक गतिविधियों को संरचित एवं स्थायी आधार प्रदान करती है। अनौपचारिक ऋण स्रोतों की तुलना में संस्थागत ऋण कम ब्याज दर, पारदर्शी शर्तों तथा दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता की सुविधा प्रदान करता है। जब उद्यमियों को बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से ऋण उपलब्ध होता है, तो वे पूंजीगत परिसंपत्तियों—जैसे मशीनरी, उपकरण, कच्चा माल एवं कार्यशील पूंजी—में निवेश कर सकते हैं। इससे उत्पादन क्षमता, उत्पादकता तथा लाभप्रदता में वृद्धि होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पूंजी की कमी विकास की प्रमुख बाधा है, वहाँ संस्थागत साख निवेश और आय-वृद्धि के मध्य एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करती है।

द्वितीय, समावेशी विकास मॉडल (Inclusive Growth Framework) इस बात पर बल देता है कि आर्थिक विकास तभी सार्थक और स्थायी माना जा सकता है जब समाज के सभी वर्ग—विशेषकर कमजोर, वंचित, अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाएँ एवं ग्रामीण युवा—विकास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी कर सकें। केवल सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में वृद्धि विकास का पर्याप्त संकेतक नहीं है; बल्कि आय-वितरण की समानता, रोजगार के अवसरों का विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण एवं वित्तीय समावेशन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इस दृष्टिकोण से DIC और बैंक ऋण की भूमिका केवल उद्यम स्थापना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता तथा अवसरों के लोकतंत्रीकरण की दिशा में भी योगदान करती है। यदि ऋण योजनाओं का लक्षित वितरण सुनिश्चित किया जाए, तो यह कमजोर वर्गों के आर्थिक उत्थान का सशक्त माध्यम बन सकता है।

तृतीय, MSME-आधारित क्षेत्रीय विकास सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने और रोजगार सृजन में अत्यंत प्रभावी होते हैं। बड़े उद्योग प्रायः महानगरों या विकसित क्षेत्रों में केंद्रित रहते हैं, जबकि MSME स्थानीय संसाधनों, स्थानीय श्रम एवं कम पूंजी निवेश के आधार पर ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थापित किए जा सकते हैं। यह क्षेत्र श्रम-गहन (labour-intensive) होने के कारण व्यापक स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराता है और आय का विकेंद्रीकरण करता है। इसके अतिरिक्त, MSME स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करते हैं, उद्यमिता संस्कृति को विकसित करते हैं और क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करने में सहायक होते हैं।

उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में DIC–बैंक सहयोग को ग्रामीण आर्थिक विकास का एक संरचनात्मक तंत्र माना जा सकता है। DIC संभावित उद्यमियों को तकनीकी मार्गदर्शन, परियोजना निर्माण एवं प्रशिक्षण प्रदान करता है, जबकि बैंक उन्हें आवश्यक पूंजी उपलब्ध कराते हैं। यह समन्वित तंत्र सूचना-असमरूपता को कम करता है, ऋण उपयोग की दक्षता बढ़ाता है तथा निवेश को उत्पादक दिशा में प्रवाहित करता है। परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी-निर्माण, उद्यमिता संवर्धन, आय-वृद्धि

एवं रोजगार सृजन की प्रक्रिया को गति मिलती है। इस प्रकार, सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों स्तरों पर DIC–बैंक सहयोग ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण का एक प्रभावी मॉडल प्रस्तुत करता है।.

III. अध्ययन क्षेत्र का संदर्भ: पन्ना जिला

पन्ना जिला मध्यप्रदेश के उत्तर–पूर्वी भाग में बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत स्थित एक भौगोलिक एवं सामाजिक दृष्टि से विशिष्ट जिला है। इसकी भौ-आकृतिक संरचना मुख्यतः पठारी एवं अर्ध-शुष्क प्रकृति की है, जहाँ वर्षा पर निर्भर कृषि प्रमुख आजीविका का स्रोत है। जिले की कुल जनसंख्या का 80 प्रतिशत से अधिक भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, जिससे इसकी आर्थिक संरचना परंपरागत एवं कृषि-प्रधान बनी हुई है। शहरीकरण का स्तर अपेक्षाकृत कम होने के कारण औद्योगिक गतिविधियाँ सीमित हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करती है।

चित्र नं 1: पन्ना जिले का नक्शा

साक्षरता दर राज्य के औसत से निम्न होने के कारण मानव पूंजी विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी रही है। विशेषकर महिला साक्षरता में अंतर सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों को और जटिल बनाता है। जिले में अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की उल्लेखनीय उपस्थिति सामाजिक संरचना को विशिष्ट आयाम प्रदान करती है। ये वर्ग ऐतिहासिक रूप से संसाधनों, पूंजी एवं औपचारिक वित्तीय तंत्र तक सीमित पहुँच के कारण आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत पिछड़े रहे हैं। अतः इनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लक्षित योजनाओं की आवश्यकता और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

पन्ना जिले की आजीविका संरचना मुख्यतः वर्षा-आधारित कृषि, पशुपालन, वनोपज संग्रहण, खनन तथा असंगठित श्रम गतिविधियों पर आधारित है। सीमित सिंचाई सुविधाएँ और प्राकृतिक संसाधनों की अस्थिर उपलब्धता के कारण कृषि आय में मौसमी उतार-चढ़ाव सामान्य है। वनोपज—जैसे महुआ, तेंदूपत्ता एवं अन्य वन उत्पाद—ग्रामीण परिवारों की आय का पूरक स्रोत हैं, किंतु इनका बाजार मूल्य और विपणन संरचना असंगठित होने के कारण आय स्थिर नहीं रहती। असंगठित श्रम में संलग्न आबादी को नियमित रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा का अभाव रहता है, जिससे आय असुरक्षा और गरीबी की समस्या बनी रहती है।

जिले में औद्योगिक आधार सीमित होने के कारण द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र का योगदान अपेक्षाकृत कम है। बड़े उद्योगों की अनुपस्थिति और निवेश के निम्न स्तर के कारण संगठित रोजगार के अवसर सीमित हैं। ऐसी परिस्थितियों में स्वरोजगार आधारित विकास मॉडल—विशेषकर लघु, कुटीर एवं सूक्ष्म उद्यम—आय-विविधीकरण (Income Diversification) का एक व्यवहारिक एवं प्रभावी विकल्प प्रस्तुत करते हैं। स्वरोजगार योजनाएँ ग्रामीण युवाओं, महिलाओं तथा वंचित वर्गों को स्थानीय संसाधनों के उपयोग के माध्यम से उद्यम स्थापित करने का अवसर प्रदान करती हैं। इससे न केवल व्यक्तिगत आय में वृद्धि होती है, बल्कि स्थानीय स्तर पर पूंजी-निर्माण, रोजगार सृजन तथा आर्थिक गतिविधियों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को भी प्रोत्साहन मिलता है।

इस प्रकार, पन्ना जिले की सामाजिक-आर्थिक संरचना यह संकेत देती है कि संस्थागत समर्थन, विशेषकर जिला उद्योग केंद्र एवं बैंक ऋण योजनाएँ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखती हैं।

स्वरोजगार योजनाएँ केवल वैकल्पिक रोजगार का साधन नहीं हैं, बल्कि वे आय स्थिरता, सामाजिक सशक्तिकरण और क्षेत्रीय संतुलित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप सिद्ध हो सकती हैं।

IV. जिला उद्योग केंद्र (DIC) की संरचना एवं कार्य

जिला उद्योग केंद्र (DIC) को जिला स्तर पर औद्योगिक विकास के लिए एक समेकित संस्थागत तंत्र के रूप में विकसित किया गया है, जिसकी प्रमुख सेवाएँ लघु, कुटीर एवं सूक्ष्म उद्यमों को स्थापना से लेकर संचालन तक आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। DIC की सेवाएँ केवल प्रशासनिक औपचारिकताओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र (entrepreneurial ecosystem) को सुदृढ़ करने में संरचनात्मक भूमिका निभाती हैं।

सबसे पहले, उद्योग पंजीकरण एवं Udyam पंजीयन की सुविधा संभावित उद्यमियों को औपचारिक आर्थिक ढाँचे में सम्मिलित करती है। पंजीकरण के माध्यम से उद्यमों को सरकारी योजनाओं, कर रियायतों, सब्सिडी, बैंक ऋण, तथा अन्य प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार मिलता है। DIC उद्यमियों को आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया, श्रेणी निर्धारण (सूक्ष्म, लघु, मध्यम), तथा ऑनलाइन पंजीयन प्रणाली में तकनीकी सहयोग प्रदान करता है। इससे उद्यम का औपचारिककरण (formalization) सुनिश्चित होता है और वित्तीय संस्थानों के साथ उसका विश्वसनीय संबंध स्थापित होता है।

द्वितीय, परियोजना-रिपोर्ट तैयारी (Project Report Preparation) DIC की एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा है। अनेक संभावित उद्यमियों के पास व्यवसायिक विचार तो होते हैं, किंतु वे तकनीकी व्यवहार्यता (technical feasibility), वित्तीय व्यवहार्यता (financial viability), लागत-लाभ विश्लेषण (cost-benefit analysis), ब्रेक-ईवन पॉइंट, नकदी प्रवाह (cash flow) और जोखिम विश्लेषण जैसे पहलुओं का समुचित आकलन नहीं कर पाते। DIC विशेषज्ञ मार्गदर्शन के माध्यम से परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने में सहायता करता है, जिससे बैंक ऋण प्रस्ताव अधिक सुसंगत और स्वीकार्य बनता है।

तृतीय, बैंक ऋण समन्वय DIC की केंद्रीय भूमिका है। यह संभावित उद्यमियों और बैंकिंग संस्थानों के बीच एक सेतु का कार्य करता है। DIC द्वारा अनुशंसित परियोजनाएँ बैंक के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं, जिससे ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ती है। यह समन्वय सूचना-असमरूपता (information asymmetry) को कम करता है, क्योंकि बैंक को परियोजना की व्यवहार्यता का पूर्व मूल्यांकन प्राप्त होता है और उद्यमी को ऋण प्रक्रिया की स्पष्ट समझ मिलती है। परिणामस्वरूप ऋण-स्वीकृति में समय की बचत होती है तथा परियोजना कार्यान्वयन में दक्षता आती है।

चतुर्थ, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण (Entrepreneurship Development Programme – EDP) के माध्यम से DIC संभावित उद्यमियों को तकनीकी, प्रबंधकीय एवं वित्तीय कौशल प्रदान करता है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लेखा-प्रबंधन, विपणन रणनीति, गुणवत्ता नियंत्रण, लागत निर्धारण, डिजिटल भुगतान प्रणाली, कर-प्रबंधन एवं ग्राहक सेवा जैसे विषय सम्मिलित होते हैं। यह प्रशिक्षण उद्यमियों की क्षमता निर्माण (capacity building) में सहायक होता है और उद्यम की दीर्घकालिक स्थिरता को सुदृढ़ करता है।

पंचम, विपणन एवं प्रदर्शनी सहयोग के अंतर्गत DIC स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने में सहायता करता है। प्रदर्शनी, व्यापार मेले, राज्य स्तरीय आयोजन, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ाव तथा सरकारी खरीद (GeM पोर्टल आदि) में मार्गदर्शन के माध्यम से उत्पादों की बाजार पहुँच बढ़ाई जाती है। इससे उद्यमियों को प्रतिस्पर्धी वातावरण में टिके रहने और उत्पादन विस्तार की संभावना मिलती है।

षष्ठ, राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन DIC के माध्यम से किया जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुद्रा योजना आदि योजनाओं का चयन, अनुशंसा एवं निगरानी कार्य DIC द्वारा संपादित किया जाता है। इस प्रक्रिया में पात्र लाभार्थियों की पहचान, सब्सिडी प्रबंधन तथा अनुवर्ती निरीक्षण (follow-up monitoring) सम्मिलित होते हैं।

Copyright © 2012:IJAECE

समग्र रूप से DIC की मध्यस्थ (facilitator) भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह बैंकिंग संस्थानों और उद्यमियों के बीच संचार-संतुलन स्थापित करता है, जोखिम की धारणा को कम करता है तथा परियोजनाओं की व्यवहार्यता को प्रमाणित करता है। सूचना-अंतर (information asymmetry) में कमी आने से ऋण स्वीकृति दर में सुधार होता है और परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन की संभावना बढ़ती है। इस प्रकार DIC केवल एक प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि ग्रामीण औद्योगिक विकास और आर्थिक सशक्तिकरण का संस्थागत उत्प्रेरक (institutional catalyst) है।

V. बैंक ऋण तंत्र एवं योजनागत ढाँचा

ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अनेक वित्तीय एवं संस्थागत योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिनका लक्ष्य संभावित उद्यमियों—विशेषकर ग्रामीण युवाओं, महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर समूहों—को औपचारिक वित्तीय तंत्र से जोड़ना और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इन योजनाओं का मूल उद्देश्य पूंजी की उपलब्धता, जोखिम न्यूनीकरण तथा उद्यम स्थापना की प्रारंभिक बाधाओं को कम करना है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) एक प्रमुख केंद्रीय योजना है, जिसके अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हेतु बैंक ऋण के साथ मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह योजना विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र दोनों को कवर करती है और ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत उच्च सब्सिडी दर उपलब्ध कराती है। इसके माध्यम से नए उद्यमों की स्थापना, स्थानीय संसाधनों का उपयोग तथा रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलता है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (MUDRA) सूक्ष्म इकाइयों को बिना जटिल संपार्श्विक (collateral) शर्तों के ऋण उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। यह योजना शिशु, किशोर और तरुण श्रेणियों में विभाजित है, जो व्यवसाय के विकास चरण के अनुसार ऋण राशि निर्धारित करती है। इसका उद्देश्य गैर-संगठित क्षेत्र की सूक्ष्म आर्थिक गतिविधियों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना तथा उद्यमिता को वित्तीय आधार प्रदान करना है।

राज्य स्तर पर संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना जैसी पहलें स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए युवाओं एवं विशेष वर्गों को रियायती ऋण, ब्याज अनुदान तथा आंशिक गारंटी सहायता प्रदान करती हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकार बैंक ऋण पर ब्याज सब्सिडी या गारंटी समर्थन देकर जोखिम को कम करती है, जिससे बैंक भी ऋण वितरण में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकें।

इसी प्रकार, स्टैंड-अप इंडिया योजना अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला उद्यमियों को ग्रीनफील्ड उद्यमों की स्थापना हेतु ऋण प्रदान करने पर केंद्रित है, जबकि स्वयं सहायता समूह–बैंक लिंकिंग (SHG–Bank Linkage Programme) मॉडल ग्रामीण महिलाओं को सामूहिक बचत एवं ऋण सुविधा के माध्यम से सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का अवसर देता है। यह मॉडल वित्तीय समावेशन और सामाजिक सशक्तिकरण का एक प्रभावी उपकरण माना जाता है।

इन सभी योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्रोत्साहन व्यवस्थाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे—मार्जिन मनी सहायता, पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज रियायत, क्रेडिट गारंटी समर्थन तथा प्रशिक्षण अनिवार्यता। इससे उद्यम स्थापना की प्रारंभिक लागत कम होती है और परियोजनाओं की व्यवहार्यता में सुधार होता है।

समीक्षात्मक साहित्य से यह संकेत प्राप्त होता है कि केवल ऋण उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है। जब वित्तीय सहायता को उद्यमिता विकास प्रशिक्षण (EDP) और विपणन सहयोग के साथ जोड़ा जाता है, तब सफलता दर में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। यह "त्रिस्तरीय मॉडल" — अर्थात् ऋण + प्रशिक्षण + विपणन समर्थन — उद्यम की दीर्घकालिक स्थिरता, आय-वृद्धि और रोजगार सृजन के लिए अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। प्रशिक्षण से प्रबंधकीय दक्षता विकसित होती है, जबकि विपणन सहयोग उत्पादों की बाजार पहुँच सुनिश्चित करता है। इस प्रकार, योजनाओं का समेकित क्रियान्वयन ग्रामीण उद्यमिता के सतत और

समावेशी विकास की दिशा में एक सुदृढ़ ढाँचा प्रस्तुत करता है।

VI. साहित्य समीक्षा

ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण, जिला उद्योग केंद्र (DIC) की संस्थागत भूमिका तथा बैंक ऋण आधारित स्वरोजगार कार्यक्रमों पर उपलब्ध साहित्य बहुआयामी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। पूर्ववर्ती अध्ययनों का विश्लेषण यह संकेत देता है कि संस्थागत साख, प्रशिक्षण समर्थन और विपणन सहायता का समन्वित मॉडल ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता विकास के लिए अत्यंत प्रभावी सिद्ध होता है। निम्नलिखित साहित्य समीक्षा प्रमुख लेखकों एवं अध्ययनों के आधार पर प्रस्तुत की जा रही है।

खान (2002) ने मध्यप्रदेश वित्त निगम की भूमिका का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि संस्थागत वित्तीय सहायता औद्योगिक विकास की आधारशिला है और पूंजी की उपलब्धता से सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की स्थापना में वृद्धि होती है [1]। इसी प्रकार शर्मा (2003) ने जिला उद्योग केंद्रों को स्थानीय स्तर पर औद्योगिक विकास का प्रमुख संस्थागत माध्यम बताते हुए पाया कि DIC के माध्यम से पंजीकरण एवं ऋण समन्वय की प्रक्रिया उद्यम स्थापना की गति को बढ़ाती है [2]।

वर्मा (2004) ने लघु उद्योगों के वित्तपोषण तंत्र का अध्ययन करते हुए बैंक ऋण, सब्सिडी एवं मार्जिन मनी सहायता को परियोजना व्यवहार्यता के लिए आवश्यक बताया [3]। मिश्रा (2005) के अनुसार स्वरोजगार योजनाएँ केवल रोजगार सृजन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे आय वितरण में संतुलन स्थापित कर क्षेत्रीय असमानता को कम करने में सहायक होती हैं [4]।

गुप्ता (2007) ने महिला उद्यमिता विकास पर अध्ययन करते हुए निष्कर्ष दिया कि संस्थागत ऋण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संयुक्त प्रभाव से महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार होता है [5]। सिंह (2008) ने ग्रामीण औद्योगीकरण और बैंक ऋण के संबंध का विश्लेषण करते हुए पाया कि औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़ाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण को गति देता है [6]।

कुमार (2011) ने जिला उद्योग केंद्रों के मूल्यांकन अध्ययन में यह प्रतिपादित किया कि DIC–बैंक समन्वय मॉडल सूचना-असमरूपता (information asymmetry) को कम कर ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया को सुगम बनाता है [7]। त्रिपाठी (2014) ने MSME क्षेत्र के विकास पर अपने अध्ययन में यह स्पष्ट किया कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योग रोजगार-गहन होने के कारण क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं [8]।

शर्मा (2017) ने बेरोजगारी एवं स्वरोजगार के संदर्भ में यह तर्क प्रस्तुत किया कि स्वरोजगार आधारित विकास मॉडल ग्रामीण युवाओं के लिए स्थायी आय स्रोत प्रदान कर सकता है, बशर्ते उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण एवं वित्तीय समर्थन प्राप्त हो [9]। वर्मा (2024) ने बैंक ऋण और आर्थिक विकास के मध्य सकारात्मक सहसंबंध स्थापित करते हुए यह दर्शाया कि ऋण वितरण में पारदर्शिता और समयबद्धता से परियोजनाओं की सफलता दर में वृद्धि होती है [10]।

उपरोक्त साहित्य से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण में DIC और बैंक ऋण की भूमिका बहुआयामी है। अधिकांश अध्ययनों में यह निष्कर्ष उभरता है कि वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण समर्थन और विपणन संरचना का त्रिस्तरीय मॉडल उद्यमिता विकास के लिए सर्वाधिक प्रभावी है। तथापि, दस्तावेजी जटिलता, विपणन अवसंरचना की कमी तथा ऋण वितरण में विलंब जैसी चुनौतियाँ अब भी विद्यमान हैं। प्रस्तुत शोध पन्ना जिले के संदर्भ में इन सिद्धांतों एवं निष्कर्षों की अनुभवजन्य समीक्षा करने का प्रयास करता है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर DIC–बैंक सहयोग की प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके।

VI. निष्कर्ष

प्रस्तुत समीक्षात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित होता है कि ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया में जिला उद्योग केंद्र (DIC) एवं बैंकिंग संस्थानों की भूमिका संरचनात्मक एवं बहुआयामी है। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जो ऐतिहासिक रूप से कृषि-प्रधान एवं अल्प-औद्योगिक रही है, उसमें पूंजी की उपलब्धता, तकनीकी मार्गदर्शन तथा बाजार पहुँच की कमी प्रमुख अवरोधक कारक रहे हैं। ऐसे परिदृश्य में DIC द्वारा प्रदत्त संस्थागत समर्थन—जैसे उद्योग पंजीकरण, परियोजना-

रिपोर्ट निर्माण, प्रशिक्षण, विपणन सहयोग एवं बैंक समन्वय—ग्रामीण उद्यमिता को औपचारिक आर्थिक ढाँचे से जोड़ने का प्रभावी माध्यम सिद्ध होता है।

साहित्य समीक्षा से यह निष्कर्ष निकलता है कि संस्थागत साख (institutional credit) उत्पादक निवेश को प्रोत्साहित करती है और आय-वृद्धि, पूंजी-निर्माण तथा रोजगार-सृजन के मध्य सकारात्मक संबंध स्थापित करती है। समावेशी विकास मॉडल के अनुरूप, जब बैंक ऋण योजनाएँ कमजोर एवं वंचित वर्गों—विशेषकर महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं ग्रामीण युवाओं—को लक्षित करती हैं, तब आर्थिक विकास अधिक संतुलित एवं न्यायसंगत बनता है। MSME-आधारित विकास दृष्टिकोण यह भी स्पष्ट करता है कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने और स्थानीय संसाधनों के उत्पादक उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

पन्ना जिले के संदर्भ में विश्लेषण यह संकेत देता है कि DIC–बैंक समन्वित मॉडल ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आय-विविधीकरण का व्यवहारिक विकल्प प्रस्तुत करता है। सीमित औद्योगिक आधार और कृषि-निर्भर संरचना के बीच स्वरोजगार योजनाएँ स्थानीय रोजगार सृजन, सामाजिक सशक्तिकरण तथा वित्तीय समावेशन की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखती हैं। विशेष रूप से ऋण, प्रशिक्षण एवं विपणन सहयोग का त्रिस्तरीय मॉडल उद्यमों की दीर्घकालिक स्थिरता और सफलता दर को बढ़ाने में सहायक पाया गया है।

हालाँकि, अध्ययन यह भी इंगित करता है कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कुछ संरचनात्मक सुधार आवश्यक हैं—जैसे ऋण स्वीकृति प्रक्रिया का सरलीकरण, डिजिटल वित्तीय साक्षरता का विस्तार, विपणन अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार। इसके अतिरिक्त, परियोजनाओं के अनुवर्ती मूल्यांकन (follow-up monitoring) और परिणाम-आधारित आकलन को संस्थागत रूप देना आवश्यक है, जिससे दीर्घकालिक प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके।

संदर्भ

[1] अ. न. खान, *प्रदेश में उद्यमिता के विकास में मध्यप्रदेश वित्त निगम की भूमिका*. भोपाल, भारत: मध्यप्रदेश अध्ययन संस्थान प्रकाशन, 2002.

[2] र. च. शर्मा, *जिला उद्योग केंद्र और उद्यमिता विकास*. नई दिल्ली, भारत: दीप एंड दीप पब्लिकेशन्स, 2003.

[3] स. वर्मा, *लघु उद्योगों का वित्तपोषण*. जयपुर, भारत: रावत पब्लिकेशन्स, 2004.

[4] अ. क. मिश्रा, *स्वरोजगार एवं आर्थिक विकास*. वाराणसी, भारत: विश्वविद्यालय प्रकाशन, 2005.

[5] स. गुप्ता, *महिला उद्यमिता विकास*. नई दिल्ली, भारत: क्लासिकल पब्लिशिंग कंपनी, 2007.

[6] अ. क. सिंह, *ग्रामीण औद्योगीकरण एवं बैंक ऋण*. लखनऊ, भारत: लोकभारती प्रकाशन, 2008.

[7] वि. कुमार, *जिला उद्योग केंद्रों का मूल्यांकन: एक समालोचनात्मक अध्ययन*. नई दिल्ली, भारत: अटलांटिक पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, 2011.

[8] र. त्रिपाठी, *एमएसएमई क्षेत्र का विकास एवं चुनौतियाँ*. नई दिल्ली, भारत: सेज पब्लिकेशन्स इंडिया, 2014.

[9] अ. शर्मा, *बेरोजगारी एवं स्वरोजगार: एक सामाजिक-आर्थिक अध्ययन*. नई दिल्ली, भारत: डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस, 2017.

[10] डॉ. वि. शर्मा, *बैंक ऋण और आर्थिक विकास*. नई दिल्ली, भारत: अटलांटिक पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, 2024.